न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

SAR Appeal 17 R 15/06-07

नंदकुमार राम वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

राम उरॉव वगैरह प्रतिवादी

आदेश

30/23.06.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 886 सी /03–04 में श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 27.2.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है। वर्तमान अपील वाद की प्रविष्टि के विन्दु पर दिनांक 18.7.2006 को सुनवाई की गयी थी एवं विलम्ब से दायर किये जाने का कोई संतोषजनक कारण नहीं रहने की वजह से अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके विरुद्ध अपीलकर्ता ने आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के न्यायालय में रिभीजन वाद संख्या 93/2006 दायर किया जिसमें दिनांक 13.11.2006 को पारित आदेशाानुसार इस वाद को गुण–दोष (Merit) के आधार पर सुनवाई कर निर्णय लेने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
हेहल	14	128	16 डिसमिल

अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि निम्न न्यायालय में प्रतिवादी ने वर्तमान अपीलकर्ताओं के अलावा दाउमनी खाखा के विरुद्ध भी वाद दायर किया था परन्तु अपीलकर्ताओं के विरुद्ध जीमल वापसी का आदेश पारित किया गया एवं दाउमनी खाखा को क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दिया गया जो पक्षपातपूर्ण है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया एवं गवाही भी नहीं ली गयी। विवादित जमीन अपीलकर्ता के पूर्वजों ने 53 बर्ष पूर्व खरीदा

है एवं उसी समय से उनका कच्चा मकान बना हुआ है। इस मामले में जमीन का अंतरण 53 साल पूर्व हुआ है बतः यह मामला कालबाधित है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बताया कि निम्न न्यायालय में प्रतिवादी की गवाही ली गयी थी परन्तु अपीलकर्ता की गवाही नहीं ली गयी। जमीन हुकुमनामा से प्राप्त हुआ है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता बहस के समय उपस्थित नहीं थे अतः उन्हें लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने लिखित बहस दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में दशवा, बिरसा एवं बुधु उरॉव पिता पतंग उरॉव वो राम उरॉव पिता सुन्दरा उरॉव के नाम दर्ज है। दशवा, बुधु एवं बिरसा की निःसंतान मृत्यु हो गयी तथा विवादित जमीन के एकमात्र उत्तराधिकारी राम उरॉव हुए। प्रतिवादी सुन्दरा उरॉव के पुत्र एवं राम उरॉव के पौत्र हैं। अपीलकर्ता विवादित जमीन पर नाजायज एवं अवैध रुप से दखलकार हैं। अपीलकर्ता के विरुद्ध एस ए आर वाद संख्या 115/04–05 दायर किया गया था जिसमें 26.10.2004 को दखल देहानी का आदेश पारित हुआ। अपीलकर्ता ने उस आदेश के विरुद्ध अपील या रिभीजन दायर नहीं किया था। परन्तु अभी तक दखल देहानी नहीं दिया गया। वर्तमान निम्न न्यायालय वाद में अपीलकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था परन्तु उन्होंने कोई कागजात दाखिल नहीं किया। प्रतिवादी विवादित जमीन पर विगत 5–6 बर्षों से दखलकार हैं। लिखित बहस में यह दावा किया गया है कि अपीलकर्ता के पास कोई वैध कागजात नहीं है।

वर्तमान अभिलेख एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय में कई व्यक्ति पक्षकार थे। वर्तमान अपीलकर्ता को छोड़कर शेष व्यक्तियों के संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है। वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध जमीन वापसी का आदेश पारित किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि उनका मकान भी 1969 के पूर्व विवादित जमीन पर बना है। ऐसी स्थिति में इस मामले में अपीलकर्ता के दावे की सत्यता की जॉच आवश्यक है।

अतः अपील स्वीकृत करते हुए वाद निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है। निम्न न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित नक्शा, लगान रसीद, बिजली विपत्र एवं होल्डिंग आदि दस्तावेजों के आधार पर यह जॉच किया जाय कि अपीलकर्ता का मकान 1969 के पूर्व बना है अथवा नहीं। अगर इन दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि संरचना 1969 के पूर्व से बना हुआ है तो नियमानुसार उचित आदेश पारित किया जाय।

दिनांक– 23.06.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।